

पहाड़ के बीच चल रहा था नकली शराब बनाने का धंधा



Publish Date: Mon, 18 Jan 2021 10:32 PM (IST) Author: **Jagran**

जागरण संवाददाता देवघर देवीपुर थाना क्षेत्र स्थित हथुवारी गांव के समीप पहाड़ पर अवैध रूप से

जागरण संवाददाता, देवघर : देवीपुर थाना क्षेत्र स्थित हथुवारी गांव के समीप पहाड़ पर अवैध रूप से विदेशी शराब बनाने के कारोबार का भंडाफोड़ करने में उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर रविवार रात तकरीबन रात 12:30 बजे छापेमारी की गई। उत्पाद अधीक्षक कमल नयन सिन्हा के निर्देश पर उत्पाद अवर निरीक्षक कांग्रेस यादव व उनकी टीम ने कार्रवाई की। देर रात टीम जब तक शराब बनाने वाले स्थान पर पहुंचती उससे पहले शराब तैयार कर लोग मौके से फरार होने में सफल रहे।

रात में बनाई जाती शराब, सुबह नहीं रहता नामोनिशान : जिस स्थान पर अवैध शराब बनाने का सामान जब्त किया गया है। वह काफी सुनसान इलाका है। पहाड़ के बीच शराब बनाने का धंधा चलता है। रात भर काम करने के बाद सुबह तक वह स्थान को पूरी तरह से खाली कर लिया जाता था ताकि किसी को इस स्थान पर होने वाले अवैध रूप से शराब बनाने के बारे में भनक तक नहीं लग सके।

आर्डर पर तैयार की जाती थी शराब : शराब बनाने का काम आर्डर पर किया जाता है। बताया जाता है कि बिहार के शराब कारोबारी इन लोगों से संपर्क स्थापित कर शराब बनाने के लिए आर्डर देते थे। इसके बाद पहाड़ पर शराब तैयार की जाती थी। तैयार शराब बन जाने के बाद एक गाड़ी वहां पहुंचती थी और बनाए गए शराब को लेकर बिहार भेज दिया जाता था।

बरामद सामान : छापेमारी के दौरान 70 लीटर स्प्रिट (दो ड्राम), 150 लीटर तैयार विदेश शराब (56.250 लीटर), विभिन्न ब्रांड का स्टिकर दो बंडल, शराब भरने के लिए 400 पीस खाली बोतल, खाली ढक्कन एक बोरा, मिक्सिंग ड्रम एक पीस, मिक्सिंग बाल्टी दो पीस, मिक्सिंग जरकिन एक पीस, एडहेसिव स्टिकर एक बंडल व कैरेमल (कलर बनाने का सामान) आधा लीटर जब्त किया गया।

शराब तैयार करने व बिहार भेजने वालों की तलाश में जुटा विभाग : इस बाबत अवर उत्पाद निरीक्षक कांग्रेस यादव ने बताया कि अवैध रूप से शराब बनाने और बिहार भेजने वालों की पहचान कर ली गई है। शराब बनाने व बेचने वालों में हथुवारी निवासी विनोद यादव उर्फ गुड्डू यादव, दिनेश यादव व जनार्दन यादव शामिल है जबकि बिहार तक शराब खपाने वालों में बड़ाबाद निवासी रवि यादव व अमडीहा निवासी वरुण यादव शामिल है। इन सभी के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

Source: <https://www.jagran.com/jharkhand/deoghar-liquior-business-21285047.html>